रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 175] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 16, 2012/श्रावण 25, 1934
No. 175] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 16, 2012/SHRAVANA 25, 1934

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 10 अगस्त, 2012

सं. टीएएमपी/21/2009-डब्ल्यूएस.—भारत सरकार के पोत परिवहन मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए निदेश के अनुपालन में और "महापत्तनों में प्रशुल्क विनियमन के लिए मार्गदर्शिका, 2004" की धारा 1.2 के अंतर्गत, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार, 31 मार्च 2005 के आदेश सं. टीएएमपी/23/2003-डब्ल्यूएस द्वारा अधिसूचित "महापत्तनों में प्रशुल्क विनियमन के लिए मार्गदर्शिका, 2004" की वैधता को और अधिक विस्तारित करता है ।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
सं टीएएमपी/21/2009--डब्ल्यूएस

आदेश
(अगस्त, 2012 के 8 वें दिन पारित)

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 111 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी किए गए नीति निर्देशों के अनुपालन में इस प्राधिकरण द्वारा 31 मार्च, 2005 को राजपत्र सं. 39 के द्वारा भारत के राजपत्र में "महापत्तनों में प्रशुल्क विनियमन के लिए मार्गदर्शिका,2004 " अधिसूचित की गई थी। ये मार्गदर्शिका 31 मार्च, 2005 से प्रभावी हुई थी और मार्गदर्शिका की धारा 1.2 में विनिर्दिष्ट है, 5 वर्षो की अवधि तक अर्थात् 31 मार्च, 2010 तक प्रभावी रहेंगी, जब तक कि इस प्राधिकरण द्वारा इससे पहले इसकी समीक्षा नहीं की जाती अथवा इन्हें विस्तारित नहीं किया जाता है।

2. पोत मंत्रालय,भारत सरकार की सलाह के अनुसार इस प्राधिकरण ने, "महापत्तनों में प्रशुल्क विनियमन के लिए मार्गदर्शिका, 2004" की वैधता को समय-समय पर विस्तारित किया गया था और पिछला विस्तार 31 मार्च, 2012 से तीन माह की अवधि के लिए अथवा अगामी आदेशों तक , इसमे से जो भी पहले हो, भारत के राजपत्र में राजपत्र सं. 87 के माध्यम से दिनांक 16 अप्रैल, 2012 को अधिसूचित किया गया था।

3. भारत सरकार के पोत मंत्रालय ने अब अपने पत्र सं. पीआर-14019/20/2009-पीजी दिनांक 3 अगस्त, 2012 के द्वारा इस प्राधिकरण को सलाह दी है कि "महापत्तनों में प्रशुल्क विनियमन के लिए मार्गदर्शिका, 2004 " की वैधता को दिसंबर,2012 तक अथवा अगला आदेश पारित होने तक, इसमे से जो भी पहले हो, के लिए विस्तारित किया जाए ।

4. तदनुसार, "महापत्तनों में प्रशुल्क विनियमन के लिए मार्गदर्शिका, 2004 " की वैधता को 30 जून 2012 से दिसंबर, 2012 तक अथवा अगले आदेश पारित होने तक, इसमे से जो भी पहले हो, के लिए विस्तारित किया जाता है।

रानी जाधव, अध्यक्षा

[विज्ञापन III/4/143/12/असा.]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 10th August, 2012

No. TAMP/21/2009-WS.—In compliance of the direction issued by the Government of India in Ministry of Shipping and in exercise of the powers conferred under clause 1.2 of the 'Guidelines for Regulation of Tariff at Major Ports, 2004', the Tariff Authority for Major Ports hereby further extends the validity of the 'Guidelines for Regulation of Tariff at Major Ports, 2004' notified *vide* Order No. TAMP/23/2003-WS on 31st March, 2005, as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports

No. TAMP/21/2009 - WS

ORDER

(Passed on this 8th day of August 2012)

The 'Guidelines for Regulation of Tariff at Major Ports, 2004' were notified in the Gazette of India on 31 March 2005 vide Gazette No.39 by this Authority in compliance of policy directions issued by the Government of India under section 111 of the Major Port Trusts' Act, 1963. These guidelines came into effect from 31 March 2005 and as stipulated in clause 1.2 of the guidelines, will remain in force for a period of 5 years, i.e. up to 31 March 2010, unless reviewed earlier or extended by this Authority.

2. As advised by the Government of India in Ministry of Shipping this Authority extended the validity of the 'Guidelines for Regulation of Tariff at Major Ports, 2004' from time to time and the last extension for a period of three months from 31 March 2012 or until further orders whichever is earlier was notified in the Gazette of India on 16 April 2012 vide G.No.87.

3. The Government of India in Ministry of Shipping now, vide its letter No.PR-14019/20/2009-PG dated 3 August 2012, has advised this Authority to further extend the validity of the 'Guidelines for Regulation of Tariff at Major Ports, 2004' till December 2012 or until further orders, whichever is earlier.

4. Accordingly, the validity of the 'Guidelines for Regulation of Tariff at Major Ports, 2004' is further extended from 30 June 2012 till December 2012 or until further orders whichever is earlier.

RANI JADHAV, Chairperson
[ADVT. III/4/143/12/Exty.]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054